उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या- 70/1123/एक-1-2016-1(25)/2016

लखनऊ: दिनॉक: 17 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित लोक प्रयोजन की भूमि, जो इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए कन्नौज में क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु खेल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कन्नौज	कन्नौज	कन्नौज	गदनपुर बड्डू	244	0.220	खेल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए कन्नौज में क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु।
				योग	**कुल 01 गाटा**	**0.220 एकड़**	

2. यह भी आदेश दिये जाते है कि इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा की जाय तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित की जाय। उक्त अधिसूचना को उस क्षेत्र में प्रचलित दो समाचार पत्रों, जिनमें से एक हिन्दी में होगा, में प्रकाशित किया जाय। उक्त की अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा खेल अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

3. जिलाधिकारी, कन्नौज द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के द्रष्टिगत क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण हेतु ग्राम गदनपुर बड्डू, परगना, तहसील व जिला कन्नौज स्थित गाटा संख्या 244 रकबा 0.220 एकड़ नाले की भूमि क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित है तथा मौके पर नाले

shashadesh.up.nic.in

-2-

की शक्ल में नहीं है। वर्तमान में इस भूमि की सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है एवं खेल विभाग राज्य सरकार का सेवारत विभाग है। अत: जिलाधिकारी, कन्नौज के प्रस्ताव तथा खेल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की संस्तुति के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-5(20)/2016, दिनॉक 03.06.2016 के अनुसार ग्राम पंचायत की उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण नि:शुल्क किया जा रहा है। उक्त पुनर्ग्रहीत भूमि खेल अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जाती है।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1123(1)/एक-1-2016-1(25)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, खेल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर ।
4. जिलाधिकारी, कन्नौज को उनके पत्र संख्या-12/डीएलआरसी-कन्नौज क्रिकेट स्टेडियम-भूमि/2016, दिनॉक 23.07.2016 के सन्दर्भ में।
5. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in